

# विभागवार संचिकास्त संचिकाओं की सूची-2012

नवम्बर-2012

## शिक्षा विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(शिक्षा)14/11	सरकारी योजना के तहत राजकीय उत्कृष्ट मध्य विद्यालय रेहला पलामू में छात्रों को साईकल नहीं दिये जाने के संबंध में संगिता कुमारी एवं अन्य का शिकायत ।	12.11.2012	माननीय लोकायुक्त के त्वरित कार्रवाई के पश्चात राजकीय उत्कृष्ट मध्य विद्यालय रेहला पलामू के छात्रों को साईकल दिनांक 09.12.2012 को दिया गया । साथ ही छात्रों से टेलीफोन के माध्यम से प्रमाणिकता की जांच की गई । इस प्रकार परिवादी के परिवाद का निराकरण होने के बाद परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(शिक्षा)13/09	सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका अन्तर्गत एस. एस. महाविद्यालय देवघर के प्राचार्य द्वारा श्री रंजन कुमार झा आवेदक को तृतीय वर्ग कर्मचारी के रूप में नियमित नहीं किये जाने के संबंध में ।	29.11.2012	सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के कुलपति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में इसी परिवाद के निराकरण के लिए वाद दाखिल किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। अतः वाद पर अब अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(शिक्षा)13/11	विशेष अंगीभूत योजना के तहत आवंटित राशि के दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता की जांच कराने के लिए श्री शंभूनाथ सिंह गुमला का शिकायत ।	29.11.2012	माननीय लोकायुक्त झारखण्ड के द्वारा गठित जांच समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण एवं विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का आरोप गलत पाये जाने तथा विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा विद्यालय में पठन पाठन का कार्य होने के पुष्टि के पश्चात परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## राजस्व विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(राजस्व)15/12	अंचलाधिकारी भंडारा के द्वारा घूस लेकर गलत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में श्री गोपाल झा लोहरदगा का परिवाद ।	29.11.2012	परिवाद पूर्व में ही सिविल कोर्ट में लम्बित रहने के कारण यह झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है । अतः परिवाद पर आगे की कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(राजस्व)02/12	राजकीयकृत साहीदेव उच्च विद्यालय खरौंधा के भूमि के अतिक्रमण के विरुद्ध संबंधित आरोपीयों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में श्री रामदास राम पूर्व मुखिया का परिवाद ।	29.11.2012	उपायुक्त गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अंचलाधिकारी मझिगांव स्थल निरीक्षण के क्रम में आरोप सही पाये जाने के पश्चात अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया जा चुका है । अतः परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.)01/12	R.E.O द्वारा ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए जबरन जमीन अधिग्रहण किये जाने के संबंध में श्री श्याम नन्दन सिंह हजारीबाग का शिकायत ।	29.11.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त परिवाद उठाने की याचना पत्र के आलोक में परिवाद अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## कृषि विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(कृषि)06/12	श्री सज्जन सिंह सेवा निवृत्त जनसेवक के सेवा निवृत्त के दो साल बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के संबंध में परिवाद ।	29.11.2012	उपायुक्त बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन के तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के आलोक में परिवादी को उनके सभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	01/लोक(कृषि)04/12	श्री अविनाश कुमार सिंह , तत्कालिन अवर सचिव , कृषि एवं गन्ना विकास तथा श्री जटाशंकर चौधरी निदेशक समिति पर भ्रष्टाचार का आरोप के संबंध में श्री रंजित कुमार राय, मानव अधिकार कार्यकर्ता राँची का शिकायत ।	29.11.2012	कृषि एवं गन्ना विकास से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी के द्वारा लगाये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	02/लोक(कृषि)05/09	श्री शिवलाल पोद्दार सेवा निवृत्त क्षेत्र परिचालक कनीय पौधा संरक्षण कार्यालय दुमका को ए.सी.पी. की सम्पुष्टि नहीं किये जाने के संबंध में ।	29.11.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को द्वितीय ए.सी.पी. का लाभ ज्ञापांक सं. 5220 दिनांक 03.09.2009 के प्रभाव से प्रदान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
4.	02/लोक(कृषि)07/09	श्री महेन्द्र नारायण चौधरी का सेवानिवृत्त के पश्चात पेंशन एवं उत्पादान के संबंध में दर्ज शिकायत ।	29.11.2012	प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी को सभी वैधानिक देय पावनाओं का भुगतान हो गया । अतः परिवादी के परिवाद का निराकरण होने के बाद अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
5.	02/लोक(कृषि)10/11	सेवानिवृत्त के उपरान्त मिलने वाली राशि एवं पेंशन पेपर महालेखाकार , राँची को भेजने के संबंध में श्री जगदिश मंडल से प्राप्त परिवाद ।	29.11.2012	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में परिवादी को उनके पेंशन पेपर महालेखाकार को अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा चुका है तथा अन्य बकाया का भुगतान कर दिया गया है । अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया ।

## स्वास्थ्य विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(स्वा०)240/05	सेवानिवृत्त पुरुष कक्ष सेवक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गांवा गिरीडिह के स्व० लालो रविदास की विधवा मो० गुंजरी देवी को बकाया रशि 1797.00 (सतरह सौ सनतानवे रूप्ये) भुगतान करने के संबंध में ।	10.11.2012	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनी को उनके सभी वैद्यानिक बकाया रशि का भुगतान कर दिया गया के आलोक में परिवाद को संचिकास्त करते हुए अग्रतर कारवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	02/लोक(स्वा०)02/12	झारखण्ड राज्य स्वा० विभाग में होमियोपैथिक चिकित्सक की नियुक्ति में चयन समिति द्वारा की गई नियमों की अहवेलना के संबंध में ।	29.11.2012	परिवाद निगरानी कोर्ट में लम्बित रहने के कारण परिवाद पर अग्रतर कारवाई बन्द कर दिया गया ।
3.	01/लोक(स्वा०)02/12	श्री शैलेश साहु के अवैद्य दवा कारेबार में श्रीमती ऋतु सहाय, अंजनी कुमार, सुजित कुमार एवं श्री सुजित कुमार उपाध्याय इत्यादि का संलिप्त होने के संबंध में श्री राकेश रंजन झा से प्राप्त परिवाद ।	26.11.2012	अपराध अनुसंधान विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आरोपीयों पर अपारधिक मुकदमा सक्षम न्यायालय में लम्बित रहने तथा एक ही वाद पर दो समानान्तर न्यायालय में सुनवाई नहीं होने के प्रावधान के तहत परिवाद पर अग्रतर कारवाई बन्द करते हुए परिवाद को निरस्त कर दिया गया ।
4.	01/लोक(स्वा०)10/08	आयुष चिकित्सकों(आयुर्वेद, युनानी, होमियोपैथिक) की नियुक्ति में धांधली पैरवी किये जाने के साथ रिश्वत लिये जाने के संबंध में मो० हुजैफा रहमानी गुमला का शिकायत ।	29.11.2012	स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद निगरानी कोर्ट में लम्बित रहने के कारण अग्रतर कारवाई की आवश्यकता नहीं है। अतः परिवाद बन्द कर दिया गया ।

## वन विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(वन)04/12	श्री साधुशरण लाल सेवानिवृत्त वरिष्ठ वनपाल को पदोन्नति एवं सुपर टाईम स्केल से वंचित रखने के संबंध में शिकायत ।	05.12.2012	परिवादी को उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में विभाग द्वारा तर्किक आदेश पारित कर मामले का निष्पादन किया जा चुका है अतः संयुक्त सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन को समुचित मानते हुए परिवाद को बन्द कर दिया गया ।

## विविध

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(विविध)06/2012	वर्ष 2008 से विकलांग भत्ता नहीं मिलने के संबंध में श्री कमलाकांत भूई जामताड़ा का शिकायत ।	10.11.2012	उपायुक्त जामताड़ा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी श्री कमलाकान्त भुई को "स्वामी विवेकानन्द निशक्ता स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत विकलंगता भत्त का भुगतान किया जा रहा है। उक्त प्रतिवेदन तथा परिवादी के मंतव्य के आलोक में परिवाद को संचिकास्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।

## सहकारिता विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	02/लोक(सहकारिता)11	श्री अच्छे लाल के बकाये वेतन के भुगतान के संबंध में ।	07.11.2012	संबंधित विभाग से परिवादी के सभी बकाये का भुगतान उसके सुपुत्र को भुगतान कर दिया । अतः परिवाद को बन्द कर दिया गया ।

# शिकायत / परिवाद

नवम्बर, 2012

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	शिकायत सं. 193/12	मलेरिया विभाग पलामू में व्याप्त अनियमितता के संबंध में श्री वनारसी राम पलामू का शिकायत ।	10.11.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 705/12	उत्कर्मित उ० वि० शिक्षक नियुक्ति परीक्षा दिनांक 29.08.2012 का प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में शिकायत ।	29.11.2012	शिकायत पत्र के साथ शिकायतकर्ता के न तो अपना पता लिखा है न तो कोई सबूत के तौर पर कोई कागजात ही पेश किया है । अतः शिकायत लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
3.	शिकायत सं०/688/12	पेंशन तथा उपादान से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती के संबंध में डॉ० रामजी द्विवेदी का शिकायत ।	29.11.2012	यह शिकायत अनुशासन एवं सेवा शर्त से संबंधित है तथा विभाग द्वारा विभागीय आदेश पारित कर निर्णय लिया गया है। अतः शिकायत लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है ।
4.	शिकायत सं० 227/12	रामदेव उराँव, लिपिक जिला अवर निबंधक कार्यालय राँची पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री दिनेश भगत का शिकायत ।	10.11.2012	शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र की त्रुटियों का पर्याप्त पत्राचार के बाद भी निराकरण नहीं करने के कारण परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बन्द कर दिया गया ।